न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 69 / 2017 (राजसमन्द डिक्री)

1. माधुलाल पिता रामलाल जी जाट, निवासी लाठया की खेड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. बालु पिता रामलाल जी जाट, निवासी लाठया की खेड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. कालु पिता बालु जी जाट, निवासी लाठया की खेड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. बद्रीलाल पिता घासीलाल जी जाट, निवासी लाठया की खेड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. पवन पिता जगदीश चन्द्र जी जाट, निवासी लाठया की खेड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती प्रेमी पत्नी जगदीश चन्द्र जी जाट, निवासी लाठया की खेड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. कालु पिता लेहरू जी जाट, निवासी लाठया की खेड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती अणछी पत्नी मदन जी जाट, निवासी लाठया की खेड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. बद्रीलाल पिता डालु जी जाट, निवासी लाठया की खेड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. मोहन पिता डालु जी जाट, निवासी लाठया की खेड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. शान्तिलाल पिता धन्ना जी जाट, निवासी लाठया की खेड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

9. रमेश पिता शंकर जी जाट, निवासी लाठया की खेड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

10. रोशन पिता शंकर जी जाट, निवासी लाठया की खेड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

11. श्रीमती बदामी पत्नी शंकर जी जाट, निवासी लाठया की खेड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 रा0 का0
अ0–1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा दिनांक
25–05–2017 प्रकरण सं. 10/2014

———::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1. श्री श्यामसुन्दर पालीवाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री मुकेश शर्मा अभिभाषक रे.सं. 1,2,3,6,8,9,10,11
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12

———::———

निर्णय **दिनांक 18–06–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 11 द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादीगण व सरकार के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम लाठिया की खेड़ी में वादीगण व अन्य के संयुक्त स्वामित्व की आराजी चाह संख्या 460 रकबा 2 बिस्वा स्थित है। उक्त कुंआ 50 गज गहरा होकर उसमें पानी मौजूद है, जिसका उपयोग उपभोग वादीगण करते चले आ रहे हैं। उक्त कुंए के पास ही वादी के खेत व कुछ दूर पर मकान आबादी में मौजूद है। कुंए के पास प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मकान होकर वे जबरन अनाधिकृत वादीगण के संयुक्त स्वामित्व में अतिक्रमण करने पर उतारू हैं तथा निर्माण कराने पर आमादा है। अतएवं उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

उक्त वाद के खण्डन का जवाब प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कुंआ 50 गज गहरा नहीं है तथा बंजड़ है। इस कुंए से किसी प्रकार की कोई आराजियात पीवल नहीं होती है, बल्कि कुंआ आबादी के बीच स्थित है बिना मेड़ का है, जिसमें हमेशा किसी के गिरने का खतरा विद्यमान रहता है। अभी पॉच माह पूर्व ही एक गाय गिर गयी थी, जिसे क्रेन मगवाकर निकाला गया, जिसकी मौत हो गयी। उक्त कुंए के उत्तरी दिशा की ओर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मकान स्थित है। प्रतिवादीगण द्वारा जो निर्माण किया जा रहा है वह आबादी भूमि में किया जा रहा है तथा अपनी ही भूमि पर किया जा रहा है। कमिश्नर द्वारा भी इस बाबत् सुस्पष्ट रिपोर्ट दी गयी है।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 4 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया राजस्व ग्राम लाठिया की खेड़ी में आराजी चाह नंबर 460 रकबा 2 बिस्वा स्थित है जो वादीगण के स्वामित्व आधिपत्य की होकर उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 जबरन अनाधिकृत अतिक्रमण करने व निर्माण कार्य करने पर आमादा है जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हैं ?.....वादीगण
2. आया उक्त आराजी चाह की भूमि में प्रतिवादीगण ने अवैध निर्माण कर दिया है जो आदेशात्मक आज्ञा के जरिये हटवाया जाने के वादीगण अधिकारी हैं ?.....वादीगण
3. आया प्रतिवादीगण का निर्माण कार्य आबादी भूमि में होकर वादग्रस्त आराजी चाह की भूमि में कोई अतिक्रमण नहीं है, जिससे वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है ?.....प्रतिवादी संख्या 1 से 3
4. अनुतोष ?

वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में मौखिक साक्ष्य पेश की गयी। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने आदेश 8 नियम 1 (3) का आवेदन दिनांक 15–03–2017 को पेश किया, जिस पर जवाब के लिए पत्रावली लम्बित थी। इसी दौरान प्रकरण लोक अदालत में रखे जाने का आदेश दिनांक 25–05–2017 को दिया जाकर उपभपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 25–05–2017 से वादीगण का वाद डिक्री कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 25–05–2017 से रूष्ट होकर प्रतिवादी/अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 10–11–2017 को पेश की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट माधूलाल राजस्व कैम्प में उपस्थित हुआ। वहां पक्षकारान के मध्य कोई समझौता नहीं हो सका तथा अपीलान्ट संख्या 1 की उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात पीठासीन अधिकारी के नहीं बैठने से तारीख पेशियों की जानकारी नहीं हो सकी और अपीलान्ट के अधिवक्ता ने कहा कि जब तारीख दी जायेगी तो उसे सूचित कर देंगे। अपीलान्ट दिनांक 30–10–2017 को अपने अधिवक्ता से मिला तो उसे निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 व 11 की ओर से वकील श्री मुकेश शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4, 5, व 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख उजर यह लिया कि प्रकरण में प्रतिवादी/अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत आदेश 8 नियम 1 (3) के आवेदन के जवाब के लिए पत्रावली दिनांक 02–05–2017 के लिए नियत की गयी तथा प्रकरण में तनकियात भी कायम शुदा थी तथा आवेदन के जवाब के लिए पत्रावली नियत थी तथा साक्ष्य प्रतिवादी प्रकरण में नहीं ली

गयी तथा पश्चातवर्ती रूप से अपीलान्टगण इस भूमि के खातेदार भी बन चुके हैं, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीवार विवेचन किये निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात एवं बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में मुतबरिक आवेदन का निर्णय नहीं किया है तथा प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का असवर दिये बिना तथा पक्षकारों के मध्य बिना समझौता हुए तथा कायम शुदा तनकियात पर तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–05–2017 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए मुतबरिक आवेदन का निस्तारण करें तथा प्रतिवादीगण की साक्ष्य लेकर प्रकरण में विधिक प्रावधानों के तहत पश्चातवर्ती दस्तावेजात को भी रेकार्ड पर लेकर प्राकृतिक न्याय की पालना करते हुए उभयपक्षों को सुनकर तनकीवार निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 20–08–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18–06–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

नारायणलाल दत्तक पुत्र भूरा कुम्हार, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द। बनाम **कालू पिता प्रताप कुम्हार, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**32 / 2013**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**रेलमगरा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....18**.....माह.....**04**.....**2013**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**14**.....माह.....**.12**.....सन् **2015** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री डूंगरसिंह कर्णावत**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**अनुपस्थित**.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–04–2013 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**14**.....माह.....**.12**.....**2015** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।